

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी/रिफण्ड प्रार्थना पत्र संख्या- 1190/2017/जयपुर

मैसर्स इण्डिया ईमेज,
जरिये श्री नवनीत सराफ,
जी-691, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया,
सांगानेर, जयपुर
बनाम

.....प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर वृत्त-प्रथम, जयपुर

.....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री मनमोहन गुप्ता,
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक

..... प्रार्थी की ओर से

..... अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 12.03.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर वृत्त प्रथम (जिसे आगे 'कलक्टर मुद्रांक' कहा गया है) के पत्र क्रमांक 3538 दिनांक 12.05.2017 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का रिफण्ड आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2017 अस्वीकार किया है।
2. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय मैसर्स इण्डिया ईमेज, जरिये श्री नवनीत सराफ, जी-691, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सांगानेर, जयपुर में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 द्वारा राशि रुपये 1,31,600/- अक्षरे एक लाख इकत्तीस हजार छः सौ दिनांकित 11.08.2016 की फ्रेकिंग आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0, श्री जी टॉवर, सी-99, सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल के पास, सी-स्कीम, जयपुर से क्रय किये गये तथा बैंक के प्रोसेसिंग शुल्क का भी भुगतान कर दिया गया। फ्रेकिंग निम्नानुसार है :-

फ्रेकिंग क्रमांक	राशि रू0
0984 / 6433402	1,15,500 / -
0967 / 5327515	50 / -
0970 / 7521298	50 / -
0971 / 6018445	100 / -
0974 / 5822469	200 / -
0975 / 6323420	200 / -
0976 / 7324312	200 / -
0978 / 5626484	200 / -
0980 / 6719376	200 / -
0979 / 6127435	200 / -

2m

लगातार.....2

0981/5423510	500/-
0982/5824471	500/-
0983/7429307	13,500/-
0972/6419406	100/-
0973/7620287	100/-

कुल राशि रू0 1,31,600/-

प्रार्थी द्वारा उक्त फ्रेंकिंग स्टाम्पस जिस उद्देश्य के लिये क्रय किये गये थे उनकी पूर्ति ना होने से सम्बन्धित दस्तावेजात का निष्पादन दूसरे पक्ष के साथ ना होने से उक्त फ्रेंकिंग स्टाम्पस उपयोग में नहीं आये। प्रार्थी द्वारा उक्त उपयोग में ना आये फ्रेंकिंग स्टाम्पस का रिफण्ड प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर, वृत्त-प्रथम, जयपुर(जिसे आगे कलक्टर मुद्रांक कहा जायेगा) के समक्ष दिनांक 10.02.2017 को मूल फ्रेंकिंग स्टाम्पस राशि रू0 1,31,600/- संलग्न कर प्रस्तुत किये, परन्तु कलक्टर मुद्रांक द्वारा उक्त फ्रेंकिंग स्टाम्पस को अवधि बाधित होना मानते हुए, आदेश दिनांक 12.05.2017 द्वारा उक्त फ्रेंकिंग स्टाम्पस मय दस्तावेजात अस्वीकार करते हुए प्रार्थी को लौटा दिये। कलक्टर मुद्रांक के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी रिफण्ड प्रार्थना पत्र मूल ई-स्टाम्पस, शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त ई-स्टाम्पस का रिफण्ड दिलवाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया व अप्रार्थी राज्यपक्ष की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया गया कि उक्त फ्रेंकिंग स्टाम्पस दिनांक 11.08.2016 को क्रय किये गये थे एवं उक्त फ्रेंकिंग स्टाम्पस का उपयोग नहीं होने से राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 63ए के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि के भीतर उक्त फ्रेंकिंग स्टाम्पस के रिफण्ड हेतु कलक्टर मुद्रांक के समक्ष दिनांक 10.02.2017 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था जो प्रावधानों के अनुसार गणना करने पर छः माह की अवधि के भीतर है। कलक्टर मुद्रांक ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2017 द्वारा रिफण्ड आवेदन पत्र को अवधिपार मानते हुए अस्वीकार करने में विधिक भूल की है। कलक्टर मुद्रांक ने मनमाने तौर पर एवं प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रस्तुत उक्त फ्रेंकिंग स्टाम्पस को रिफण्ड योग्य नहीं मानकर आदेश पारित किया है जो कि कानूनन गलत है। प्रार्थी के अभिभाषक का निवेदन था कि कार्यवाही सद्भावी है अतः उक्त ई-स्टाम्पस रिफण्ड दिलवाने की प्रार्थना स्वीकार की जावे।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने रिफण्ड आवेदन समय सीमा से बाहर होने के कारण रिफण्ड देय नहीं होना मानते हुये निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. विचाराधीन प्रकरण में क्रय किये गये फ्रैंकिंग स्टाम्प पेपर्स पर एक पक्ष द्वारा कार्यवाही निष्पादित कर दी गयी है जिनके रिफण्ड के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 59 (iii) के प्रावधान लागू होंगे जो निम्न प्रकार है :-

59 - Application for relief under section 58 when to be made---The application for relief under section 58 shall be made within the following periods, that is to say, -

(iii) in the case of a stamped paper in which an instrument has been executed by any of the parties thereto, within six months after the date of the instrument, or, if it is not dated, within six months after the execution thereof by the person by whom it was first or alone executed:

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अवधि छः माह निर्धारित है। प्रार्थी ने फ्रैंकिंग स्टाम्प दिनांक 11.08.16 को क्रय किये गये हैं जिन्हें रिफण्ड हेतु दिनांक 10.02.2017 को प्रस्तुत किया गया है जो छः माह की अवधि में है तथा अवधि पार नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने रिफण्ड प्रार्थना पत्र अवधि पार बताया है परन्तु अवधि पार क्यों है इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थना पत्र किस विधिक प्रावधान के अन्तर्गत निर्णित किया गया है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं है जबकि रिफण्ड प्रार्थना पत्र छः माह की अवधि में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी का रिफण्ड प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को निर्देश दिये जाते हैं कि वे जमा राशि के संबंध में सत्यापन के उपरांत नियमानुसार फ्रैंकिंग स्टाम्पस की राशि रिफण्ड की कार्यवाही करें।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य